



परमाणु क्षतिके लिये नागरिक दायित्त्व अधिनियम 2010

प्रलिस के लिये:


पूरक मुआवजे पर अभसिमय (Convention on Supplementary Compensation- CSC), परमाणु क्षतिके लिये नागरिक दायित्त्व अधिनियम, 2010, [नयुकलियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया \(NPCIL\)](#)

मेन्स के लिये:


असैनिक परमाणु दायित्त्व कानून: प्रावधान और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में [महाराष्टर के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रिकटर](#) बनाने की योजना, जो कविश्व की सबसे बड़ी वचाराधीन परमाणु ऊर्जा उत्पादन साइट है, भारत के परमाणु दायित्त्व कानून से संबंधित मुद्दों के कारण एक दशक से अधिक समय से वलिंबति है।



Operational Nuclear Power Plants in India



FACTS

- Presently, India has 22 nuclear power reactors operating in 6 states, with an installed capacity of 6780 MegaWatt electric (MWe).
- Activities concerning the establishment and utilization of nuclear facilities and use of radioactive sources are carried out in India in accordance with the Atomic Energy Act, 1962.
- Atomic Energy Regulatory Board (AERB) regulates nuclear & radiation facilities and activities.
- **Newest & Largest Nuclear Power Plant:** Kudankulam Power Plant, Tamil Nadu.
- **First & Oldest Nuclear Power Plant:** Tarapur Power Plant, Maharashtra.



असैन्य परमाणु दायित्व पर कानून:

परिचय:

- असैन्य परमाणु दायित्व पर कानून यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु घटना या आपदा के कारण पीड़ितों को हुई क्षति के लिये मुआवज़ा उपलब्ध कराया जाए और यह भी निर्धारित करता है कि उस क्षति के लिये कौन उत्तरदायी होगा।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:

- परमाणु क्षति हेतु **IAEA** नागरिक दायित्व पर कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी उपकरणों के लिये डेपॉज़िटरी के रूप में कार्य करता है। इनमें परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व पर वयिना अभिसमय और परमाणु क्षति के लिये पूरक मुआवज़े पर अभिसमय शामिल हैं।
- न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवज़ा राशि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में पूरक मुआवज़ा पर व्यापक अभिसमय (CSC) को अपनाया गया था।

- भारत ने वर्ष 2016 में CSC की पुष्टि की है।

परमाणु क्षति के लिये नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (India's Civil Liability for Nuclear Damage Act- CLNDA):

उद्देश्य:

- भारत ने वर्ष 2010 में परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों हेतु एक त्वरित मुआवज़ा तंत्र स्थापित करने के लिये CLNDA को

अधिनियमिति कयिा था ।

◦ **संचालकों पर देयता:**

- CLNDA के अनुसार, परमाणु संयंत्र के संचालक सख्त और बनिा कसिी गलती के दायित्त्व के अधीन हैं, जसिका अर्थ है कविह कसिी भी लापरवाही एवं नुकसान हेतु उत्तरदायी हैं ।
- यह नरिदषिट करता है कडिुघटना के कारण हुए नुकसान के मामले मेंसंचालकों को 1,500 करोड रुपए की राशिका भुगतान करना होगा ।

◦ इसके लयिे संचालकों को बीमा या अन्य वत्तितीय सुरक्षा के माध्यम से देयता को कवर करने की भी आवशयकता होती है ।

◦ **सरकार की भूमिका:**

- CLNDA अपेक्षा करता है कयिदनुकसान का दावा 1,500 करोड रुपए से अधिक है तो सरकार हस्तक्षेप करेगी ।
- इसने सरकारी देयता राशिको रुपए में 300 मलयिन वशिष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDR) के बराबर तक सीमति कर दयिा है ।
- **आपूरतकिर्रता देयता उपबंध:** यह धयान देने की बात है कविर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हेतु दोषपूरण पुरजे काफी हद तक ज़मिेदार थे, सरकार ने CLNDA में संचालकों की देयता के अलावा आपूरतकिर्रता देयता को शामिल करने के लयिे CSC के प्रावधानों से परे जाकर देयता सुनशिचति की है ।
- इस प्रावधान के तहत यदिकोई परमाणु घटना दोषपूरण उपकरण अथवा सामगरी, खराब सेवाओं या आपूरतकिर्रता कर्मचारयिों के आचरण के परणामस्वरूप होती है, तो परमाणु संयंत्र का संचालक आपूरतकिर्रता से संपर्क कर उचति मदद की मांग कर सकता है ।

नोट:

- CSC के अनुसार, "केवल" दो परसिथतियिों में कसिी राष्ट्र का राष्टरीय कानून एक आपूरतकिर्रता को उत्तरदायी ठहराने के लयिे संचालक को "मदद का अधिकार" प्रदान कर सकता है:
- अगर यह अनुबंध में वशिष रूप से वर्णति है ।
- अगर परमाणु घटना "नुकसान पहुँचाने के इरादे से कयिे गए कसिी कार्य अथवा चूक के परणामस्वरूप होती है" ।

परमाणु सौदों में आपूरतकिर्रता दायित्त्व खंड:

- **वदिशी और घरेलू आपूरतकिर्रताओं के लयिे बाधक:** यह देखते हुए कडि भारत एकमात्र ऐसा देश है जसिके पास आपूरतकिर्रताओं से नुकसान की मांग की अनुमति देने वाला कानून है, परमाणु उपकरणों के घरेलू और वदिशी दोनों नरिमाता भारत के साथ परमाणु समझौते को लागू करने के लयिे अनचिछुक रहे हैं ।
- **आपूरतकिर्रताओं के लयिे अधिक जोखमिपूरण:** आपूरतकिर्रताओं ने CLNDA के तहत संभावति रूप से असीमति देयता के संपर्क में आने के बारे में चतिा जताई है कयोकडिमुआवजे की राशिकानून के तहत तय नहीं है कयोकडियह ऑपरेटर के लयिे तय की गई है ।
- **चूकडिमुआवजे की राशिक आपूरतकिर्रताओं के लयिे कानून द्वारा उस प्रकार नरिधारति नहीं है जैसा कसिंचालकों के लयिे नरिधारति है,** आपूरतकिर्रताओं ने CLNDA के तहत संभावति रूप से असीमति दायित्त्वों को लेकर चतिा व्यक्त की है ।
 - इसके अतरिकित उन्होंने इस असपषटता को भी उजागर कयिा है कडि कषतिके मामले में मुआवजे हेतु कतिनी राशिको पृथक रखना है ।
- **सपषटता की कमी में अन्य कानून शामिल हैं: 'परमाणु कषति' के प्रकारों पर एक व्यापक परभाषा के अभाव में** अधनियम संभावति रूप से अन्य नागरकिक कानूनों के माध्यम से ऑपरेटर और आपूरतकिर्रताओं के खलिाफ नागरकिक देयता के दावों को लाने की अनुमति देता है ।
- **आपराधकिक देयता को आकर्षति करता है: अधनियम कसिी व्यक्तिको इस अधनियम के अतरिकित कसिी अन्य कानून के तहत ऑपरेटर के खलिाफ कार्यवाही करने से नहीं रोकता है ।** यह जहाँ भी लागू हो, ऑपरेटर और आपूरतकिर्रता के खलिाफ आपराधकिक देयता का अनुसरण करने की अनुमति देता है ।

CLNDA के साथ अन्य समस्याएँ :

- **मुआवजे पर मौद्रकिक सीमा:** अधनियम एक नशिचति मौद्रकिक सीमा तक देयता तय करता है(ऑपरेटरों के लयिे 1,500 करोड रुपए और सरकार के लयिे वशिष आहरण अधिकार के तहत 300 मलयिन रुपए) । इस तरह की सीमा के साथ सबसे बड़ी समस्या ऐसी स्थतियिों में पैदा होती है जब नुकसान सीमा से अधिक हो जाता है ।
 - अधनियम सपषट रूप से सीमा से अधिक नुकसान की लागत के संबंध में कोई प्रावधान प्रदान नहीं करता है ।
- **करदाताओं पर बोझ:** भारत में ये संयंत्र सरकार के स्वामित्त्व वाले हैं और NPCIL के माध्यम से संचालति होते हैं । अंततः ऐसी आपदाओं की कषतपूरत आम करदाताओं द्वारा वहन की जाएगी ।
- **अतरिकित लागतों की उपेक्षा:** चेरनोबलि जैसी वगित घटनाओं से ज्ञात हुआ है कडि परमाणु घटना के लयिे दोषी पक्ष को परमाणु अपशषिट की सफाई एवं सुरक्षति नपिटान जैसी अतरिकित लागतें वहन करनी चाहयिे, जो महँगी हैं तथा इसमें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवशयकता है ।

